लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोटा आगमन पर शहर भर में जगह-जगह उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। बिड़ला के स्वागत के लिए शहर भर में स्वागत द्वार बनाए गये तथा स्वागत मंचों के जरिये पुष्प वर्षा भी की गई।

वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में 11 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने 2022 में हुई इस परीक्षा के फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया है

बांसवाड़ा, 6 जुलाई (निसं)। पुलिस ने वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में पेपर लीक मामले का खुलासा करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक पुलिस एस. परिमल, जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. राजेश भारद्वाज, एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाखन सिंह मीना एवं पुलिस उप अधीक्षक एसओजी बाबूलाल मुरारिया के नेतृत्व में टीम गठित की गयी थी।

जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा दिलाने के मामले की जाँच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व रेंज धनफूल मीना कर रहे थे। जांच के दौरान प्रवीण पुत्र हीरालाल मालवीया, निवासी तिलक नगर प्रतापगढ़, हाल शास्त्री नगर हाऊसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा व सविता डोडियार पत्नी प्रवीण मालवीया निवासी तिलक नगर प्रतापगढ़, हाल शास्त्री नगर हाऊसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा, को 28 जून को गिरफ्तार किया गया था। अनुसंधान

- **आरोपियों ने हरेक अभ्यर्थी से 8 लाख रू. लिये थे।**
- **आरोपी मोबाइल में प्रश्न पत्र लाए थे तथा अभ्यर्थियों को बोल-बोलकर जवाब लिखवाए गए थे।**
- **इन सभी अभ्यर्थियों का वन रक्षक पद पर चयन हो गया था।**

के दौरान प्रवीण मालवीया व उसकी पत्नी सविता डोडियार ने बताया कि वनरक्षक भर्ती सूचना 2020 में निकली थी, जिसकी परीक्षा 13 नवंबर 2022 को दो पारियों में हो रही थी। सकन सिंह खड़िया ने परीक्षा के एक दिन पहले फोन कर बताया कि वनरक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से बात कर 8 लाख रुपये प्रति कैंडिडेट की व्यवस्था कर सकते हो तो उनको बुला लो, कल की परीक्षा के पेपर लेकर आयेंगे।

इस पर मालवीया ने भीलकुआ निवासी छगन पारगी के माध्यम से सुक्राम पुत्र रमेश डामोर निवासी बगायचा थाना कुशलगढ़, हाल वनरक्षक नाका बड़ोदिया, सुभाष पुत्र रमेश डिंडोर निवासी कोठारिया थाना कुशलगढ़, हाल वनरक्षक नाका टिमेड़ा, वीरसिंह पुत्र कन्हैयालाल कटारा निवासी नवागांव थाना कुशलगढ़, हाल अध्यापक राउमावि उटलन घरियावाद, शीला पत्नी ईश्वरलाल पणदा निवासी मगरदा थाना कुशलगढ़, हाल वनरक्षक नाका कुशलगढ़, निरमा पत्नी सुक्राम डामोर निवासी बकायचा थाना कुशलगढ़, हाल वनरक्षक नाका कुशलगढ़, शिल्पा पत्नी भावचंद मईड़ा निवासी नागदा बड़ी थाना कुशलगढ़, हाल वनरक्षक रेंज डूंगरा, संगीता पुत्री पवन कुमार गरासिया निवासी रोहनिया रामसिंह थाना सज्जनगढ़, हाल वनरक्षक नाका कुशलगढ़, ईश्वरलाल पुत्र नाथु पणदा निवासी मगरदा थाना कुशलगढ़ को शास्त्री नगर किराये के मकान में बुलाया। तेरह नवंबर की सुबह हरीश उर्फ हीराराम पुत्र सरतनाराम सारण निवासी अरटवाव गुड़ामालानी बाड़मेर व अभिमन्यु सिंह पुत्र हिम्मत सिंह चौहान निवासी चिखला थाना कुआ जिला डूंगरपुर, हाल कनिष्ठ अभियंता शिक्षा विभाग मुख्य खंड शिक्षाधिकारी चिखली जिला डूंगरपुर दोनों घर आये और अपने मोबाइल में लाये परीक्षा का पेपर सभी अभ्यर्थियों को बोलकर हल करवाया जिससे सभी अभ्यर्थियों का वनरक्षक भर्ती 2022 में चयन हो गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. राजेश भारद्वाज, एसओजी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाखन सिंह मीना, एसओजी पुलिस उप अधीक्षक बाबूलाल मुरारिया, सहायक उपनिरीक्षक अमरसिंह व चन्द्रवीर सिंह, एसओजी हैड कांस्टेबल संतोष कुमार, एसओजी कांस्टेबल लक्ष्मणलाल, एसओजी चालक कांस्टेबल अरविन्द कुमार, कांस्टेबल कैलाशचंद्र शामिल थे।

दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कोटा पहुँचे ओम बिड़ला का भव्य स्वागत

हिंडोली से कोटा तक भव्य रोड शो, स्वागतद्वार बनाकर जगह-जगह शानदार स्वागत हुआ

जयपुर, 6 जुलाई (का.सं.)। लोकसभा में दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र कोटा-बूंदी पहुंचने पर ओम बिड़ला का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हैलिकॉप्टर से बूंदी के हिंडोली विधानसभा क्षेत्र पहुंचने के बाद हिंडोली से बूंदी तक पहले चरण का रोड शो हुआ।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला खुली जीप में भाजपा के स्थानीय नेताओं के आम जनता का अभिवादन करते हुए हिंडोली से बूंदी की तरफ रवाना हुए। उनके स्वागत में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन की भीड़ उमड़ी, साथ में गाड़ियों का भी लंबा काफिला था। जगह-जगह उनका फूल बरसाकर और मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। बिड़ला के रोड शो का दूसरा चरण कोटा में हुआ। ओम बिड़ला

- **रोड शो में शामिल लोगों ने ओम बिड़ला की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन रखी थीं।**
- **भाजपा के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्पीकर बिड़ला को 51 किलो का पुष्पहार पहनाया तथा साफा पहनाकर शाल ओढ़ाया।**
- **बिड़ला के साथ, प्रदेश सरकार के मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर तथा क्षेत्र में भाजपा विधायकों ने भी रोड शो में शिरकत की।**

लोकसभा में दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले राजस्थान के दूसरे नेता हैं। इससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ कांग्रेस की सरकार के वक्त लोकसभा के दो बार अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार इस पद पर काबिज होने से ओम बिरला राजस्थान में भाजपा का बड़ा चेहरा बन कर उभरे हैं।

कोटा संवाददाता के अनुसार, कोटा शहर में बिड़ला के स्वागत के लिए प्रवेश द्वार लगाए गए। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ़ से पन्नियों की बरसात और नगाड़ों से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं, पुरूषों ने सिर पर साफे बांधे हुए थे और कई लोगों ने ओम बिड़ला की तस्वीर छपी टीशर्ट पहन रखी थी। लोगों ने इस अवसर को एक भव्य उत्सव के रूप में मनाया। कोटा शहर में विभिन्न संस्थाओं, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष का जोश के साथ स्वागत किया। जगह-जगह पर स्वागत द्वार व मंच बनाए गए और आतिशबाजी भी की गई।

कोटा प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री अनुसुइया, शिक्षामंत्री मदन दिलावर, ऊर्जामंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, रामगोपाल बैरवा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने लोकसभाध्यक्ष को साफा, शॉल, 51 किलो का पुष्पहार एवं श्रीराम मंदिर का चिन्ह देकर उनका भव्य स्वागत किया।

कश्मीर में दो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुठभेड़ कुलगाम के मोदरगाम गांव में उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके में घेराबंदी और तलाश अभियान (कासो) चला रही थीं।

एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा, जब सेना की संयुक्त टीम पर गोलीबारी शुरू हुई तो अभियान एक मुठभेड़ में बदल गया। शुरुआती गोलीबारी में सेना की एलीट यूनिट का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को एक चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई।

केन्द्रीय बजट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विशेष सत्र आयोजित किया गया था। नए सांसदों ने शपथ ली और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया।

मु.मंत्री भजनलाल ने जयपुर शहर के विभिन्न प्रोजैक्ट्स का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को हीरापुरा बस टर्मिनल (अजमेर रोड) पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मु.मंत्री ने, मानसरोवर से अजमेर रोड तक मैट्रो विस्तार के निर्माण कार्यों का भी अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

जयपुर, 6 जुलाई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन के आवागमन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का धरातल पर जायजा लेने के लिए शनिवार को जयपुर शहर के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था, बैठने हेतु छायादार स्थान, सफाई व्यवस्था सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि अगस्त माह से बसों का संचालन प्रारम्भ किया जा सके।

मुख्यमंत्री शर्मा ने जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के अधिकारियों को मानसून में भारी बारिश से होने वाली समस्याओं से बचाव के लिए पूर्व में ही माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिससे आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना

- **मुख्यमंत्री ने हीरापुरा बस टर्मिनल तथा जयपुर मैट्रो फेज़ प्रथम-डी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।**
- **सांगानेर में, मु.मंत्री ने 300 बेड की क्षमता वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शीर्घ करने का निर्देश दिया।**
- **मु.मंत्री आर.यू.एच.एस. भी गए तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और वहाँ भर्ती मरीजों से भी बात की।**

नहीं करना पड़े। शर्मा ने मानसरोवर में जयपुर मेट्रो फेज 1-डी के तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक मेट्रो विस्तार के प्रगतिरत निर्माण कार्य का अवलोकन किया।

इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र इस प्रोजेक्ट को पूर्ण किया जाए। उन्होंने नवनिर्मित हीरापुरा बस टर्मिनल तक मेट्रो सुविधा के विस्तार के संबंध में चर्चा की। साथ ही, मेट्रो के फेज-2 के लिए रूट निर्धारित करने तथा डीपीआर बनाने के लिए टेण्डर शीघ्र किए जाने के संबंध में निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सांगानेर में खुली जेल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने 300 बेडेड अस्पताल बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को एक सप्ताह में भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्य की शीघ्र डीपीआर तैयार करें, जिससे दीपावली से पहले निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जा सके।

शर्मा इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंस (आरयूएचएस) पहुंचे। यहां उन्होंने मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर, आईसीयू कॉम्प्लेक्स, आई ओटी यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आरयूएचएस में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने, चिकित्सकों की नियुक्ति करने, मरीजों के परिजनों के ठहरने की उचित व्यवस्था करने के संबंध में निर्देश दिए।

राज्यपाल व विधानसभा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मीडिया हैण्डिल "एक्स" पर डाली गई एक पोस्ट में संविधान के एक प्रावधान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि कोई विधायक, सदन का विधिवत सदस्य बनने से पूर्व शपथ अथवा प्रक्रियानुसार पुष्टि के लिए राज्यपाल या उनकी तरफ से इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी सहमति प्रकट करता है। उन्होंने स्पीकर द्वारा दिए अन्य नियमों के हवाले भी खारिज करते हुए लिखा कि "क्या कोई भी नियम संविधान से ऊपर हो सकता है?" लेकिन राज्यपाल ने जब शपथ दिलाने अथवा यह जिम्मेदारी किसी और को देने से इंकार कर दिया था, तब पिछले हफ्ते बनर्जी और सरकार विधानसभा भवन के बाहर धरने पर बैठ गए थे।

किन्तु, राज्यपाल ने आज सुबह ही एक फरमान जारी कर डेपुटी स्पीकर को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किया था। हालांकि, स्पीकर ने तब तक विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित करने का आदेश दे चुके थे। जिसमें यह घोषणा की गई कि सदन की कार्यवाही का संचालन सिर्फ राज्यपाल की सहमति पर ही निर्भर नहीं हो सकता। स्पीकर बिमान बनर्जी ने राष्ट्रपति की मदद भी मांगी और राज्यपाल पर अहंकारपूर्ण बर्ताव का आरोप लगाया। गतिरोध तब और गहरा गया जब राज्यपाल ने उक्त दोनों विधायकों को शपथ ग्रहण के लिए अपने आवास पर आमंत्रित किया। स्पीकर व तृणमूल ने इस बात पर जोर दिया कि बोस को विधानसभा में आना चाहिए। बनर्जी ने कहा, "हम उनका व संविधान का सम्मान करते हैं, परन्तु वे हमें आदर नहीं दे रहे हैं। उन्हें विधानसभा में आना चाहिए और शपथ ग्रहण करना चाहिए अथवा प्राधिकार अध्यक्ष को प्रदान किया जाना चाहिए। हम यहाँ संवैधानिक तौर पर बैठे हुए हैं- हम निर्वाचित हैं, आपकी तरह मनोनीत पद पर नहीं है।" शुभेन्दु अधिकारी ने कहा, इस बीच भाजपा ने भी शपथ ग्रहण समारोह की आलोचना की है उसने दावा किया कि उन्हें विशेष सत्र के बारे में नहीं कहा गया था। "मेरे पास इस संबंध में सूचना नहीं थी और कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ था। प्रत्येक राज्य में शिष्टाचार के तौर पर विपक्ष के नेता को बुलाया जाता है परन्तु यहाँ हमसे कोई चर्चा नहीं की गई।" अधिकारी, जो पूर्व में मु.मंत्री ममता बनर्जी के खास सहयोगी रह चुके हैं वो विसं. चुनावों से ठीक कुछ सप्ताह पूर्व भाजपा में शामिल हुए थे वो अब विपक्ष के नेता हैं।

संवैधानिक कानून के जानकार विशेषज्ञों का मत है कि बंगाल के राज्यपाल संवैधानिक रूप से गलत कदम उठा रहे हैं क्योंकि वे अनावश्यक रूप से सिर्फ संकट उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने शपथ ग्रहण कराने में विलम्ब किया जबकि दोनों विधायक 5 जून को ही चुनावों में जीत चुके थे और उसके बाद यह है कि वे विधायकों को उनके निवास पर शपथ ग्रहण करने के लिए बुला रहे थे जो कि नियमानुसार नहीं है। यह बहुत ही अजीब बात है कि राज्यपाल नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाने के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और अध्यक्ष को नज़रअंदाज करते हैं विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि यह सब झमेला समस्या का संकट उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है।

तेलंगाना में रैवन्त रेड्डी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल होने के बाद, अब पार्टी के नेता व कार्यकर्ता धीरे ही सही परन्तु कांग्रेस में आ रहे हैं। बी.आर.एस. को जोर का झटका उस समय लगा जब शुक्रवार को विधान परिषद के छः एम.एल.सी. नेताओं ने एक प्रायवेट होटल में बैठक की और कांग्रेस में सम्मिलित होने का निर्णय किया। कांग्रेसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि "मध्य रात्रि को लगभग 1 बजे ये नेतागण तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ए.रेवन्त रेड्डी के आवास पर पहुंचे थे जो कुछ देर पूर्व ही नई दिल्ली से वापस आए थे, उनसे मिलकर इन नेताओं ने पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की।"

रेवन्त रेड्डी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और सभी छः नेताओं को तेलंगाना की ए.आई.सी.सी. प्रभारी दीपा दास मुंशी, राज्य के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी एवं पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में शामिल कर लिया। बी.आर.एस. के छः विधायकों द्वारा दलबदल कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद 40 सदस्यीय विधान परिषद में सत्ताधारी पार्टी की सदस्य संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है जबकि इस विपरीत बी.आर.एस. के विधायकों की संख्या 25 से ङटकर 19 रह गई है। इसके अत्तिरिक्त, इसमें चार मनोनीत एम.एल.सी. हैं जिसमें से दो सदस्य ए.आई.एम.आई.एम. से हैं तथा भाजपा एवं पी.आर.टी.यू. दोनों से एक-एक सदस्य हैं और एक निर्दलीय है जबकि दो सीट रिक्त चल रही है।

राज्य विधानसभा में, कांग्रेस पहले ही बी.आर.एस के छः एम.एल.ए. को तोड़ चुकी है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री के.टी. रामाराव ने दलबदल करवाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। सोशल मीडिया एक्स पर डाली गई एक पोस्ट में के.टी.आर. ने कहा "दलबदल करना कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ जिसने इस मामले को लेकर संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करने का वादा किया था, जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दलबदल कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने पर स्वतः अयोग्य करने की मांग की गई है। के. केशव राव ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रामराव ने कहा कि वे इस निर्णय का स्वागत करते हैं परन्तु बी.आर.आस. के उन विधायकों का क्या होगा जिन्होंने दलबदल किया और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था तथा उन आधा दर्जन अन्य विधायकों का क्या होगा जो दलबदल करके कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं?" के.टी.आर. ने यह भी पूछा और राहुल गांधी पर निशाना साधा कि क्या उन्होंने इसी तरह से संविधान को सही ठहराया है।

के.टी.आर. ने अपने एक्स पोस्ट पर पूछा "यदि आप बी.आ.एस. के विधायकों से इस्तीफा नहीं ले सकते तो आप पर देश कैसे भरोसा करेगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र अनुसार दसवीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? यह कैसा न्याय पत्र हैं?" बी.आर.एस. ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में 39 सीटे जीती थी और सत्ता से बाहर हो गई। परन्तु उनकी संख्या छः विधायकों को कांग्रेस में दलबदल कर जाने के बाद कम हो गई और एक एम.एल.ए. की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 119 सदस्यों वाली विधानसभा में जिस समय विधानसभा का गठन हुआ था कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 65 थी जो अब बढ़कर 71 हो गई है।

अमेरिका में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गई। फिलाडेल्फिया, बोस्टन और कनेक्टिकट में गोलीबारी की घटनाओं में तीन लोग मारे गए। क्वींस सेक्शन में एक अपार्टमेंट में आठ साल के एक लडके की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पिछले साल भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छुट्टी के दिन गोलीबारी में एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे।

गहलोत राज में राज्य भंडारण निगम द्वारा अरबों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रकम मिलेगी। श्री शुभम लॉजिस्टिक ने बीकानेर में 29 गोदाम किराये पर लिए और उन्हें ए.एल.पी. के अधीन मानते हुए किराया राशि मात्र 15 प्रतिशत ही भंडारण निगम को दी, इससे विभाग को करीब 6 करोड़ रुपये की हानि हुई।

एम.ओ.यू. में एक शर्त यह भी थी कि, गोदामों में जमा स्टॉक का बीमा श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी को ही करवाना था, लेकिन कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं कराया, इस कारण करीब 3000 करोड़ रु. स्टॉक बिना किसी बीमा के रखा हुआ था। इस गंभीर लापरवाही के बावजूद कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कंपनी द्वारा गोदामों पर स्टाफ तैनात नहीं करने के कारण सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी, इनके वेतन के 4 करोड़ रु. कंपनी से वसूले जाने चाहिए थे। मंत्री का आरोप है कि, वेयर हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डब्ल्यू.ई. एक्सेल सॉफ्टेवयर कंपनी चंडीगढ़ से 3.7 करोड़ रुपये का सॉफ्टवेयर एकल निविदा में खरीदा गया, अगर यह टैंडर खुली शर्तों में होता तो करीब 2.5 करोड़ रु. की बचत होती।

डॉ. किरोडीलाल का कहना है कि गहलोत राज में हुआ यह टैंडर शुरू से ही विवादों में रहा, क्योंकि इसकी शर्तें कुछ इस प्रकार तय की गई थी कि इन दोनों कंपनियों के अलावा कोई इस निविदा में भाग ही नहीं ले सके। हैरानी की बात यह थी कि इस टैंडर के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई थी, जिस पर अदालत ने टैंडर पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तत्कालीन गहलोत सरकार व राज्य भंडारण निगम ने श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी को टैंडर देने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अदालत ने कुछ समय के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर अस्थाई रोक हटायी थी, इसी बीच विभाग ने कंपनियों के साथ अनुबंध कर लिया। आज भी इस प्रकरण पर अंतिम फैसला आना शेष है।

राज्य सरकार को भेजी गई सी.ए.जी. रिपोर्ट :- सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि, एम.ओ.यू. की शर्तों के क्लॉज 15 में लिखा है कि अनुबंधित कंपनी को सरकार द्वारा निर्धारित गोदामों की 70 प्रतिशत की उपयोगिता सुनिश्चित करनी थी। इस रिपोर्ट में भी माना गया कि इस शर्त की पालना नहीं करने पर, जुलाई 2023 तक राज्य सरकार को इस कंपनी से 64.08 करोड़ रुपये की पेनल्टी वसूलनी जानी थी, लेकिन इस रकम में से मात्र 46.54 करोड़ रु. ही वसूले गए, जबकि 17.64 करोड़ रु. अभी भी बकाया है। खास बात यह है कि दोनों कंपनियों को भंडारण निगम को 24.34 करोड़ रु. की बैंक गारंटी देनी थी, लेकिन इन कंपनियों ने मात्र 22.20 करोड़ रु. ही जमा करवाए। जब लेखाकारों ने भंडारण निगम अधिकारियों से इस बारे में जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि, यह प्रकरण अदालत में आर्बिट्रेशन में है, इसका फैसला लंबित है। लेखाकारों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि, भंडारण निगम का यह जवाब स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने आगे यह भी टिप्पणी की है कि, जब वर्ष 2021-22 में ही पता चल गया था कि दोनों कंपनियां गोदामों की 70 फीसदी उपयोगिता सुनिश्चित करने में फेल साबित हो ही रही तो फिर वर्ष 2022 से 2024 तक इन कंपनियों के साथ राजस्व साझा का अनुबंध जारी क्यों रखा गया?

ऑडिट रिपोर्ट की शर्त 15 में यह भी तय था कि, भंडारण निगम और श्री शुभम लॉजिस्टिक के बीच राजस्व साझेदारी क्रमशः 71:29 फीसदी की रहेगी, परन्तु यह राजस्व 15:85 के क्रम में मिला। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि भंडारण निगम ने, श्री शुभम लॉजिस्टिक को 'एग्री लॉजिस्टिकल पार्क' (ए.एल.पी.) में 75.96 करोड़ रु. का बिजनेस दिया, इस कारण कंपनी के राजस्व का प्रतिशत 29 प्रतिशत के बजाय 85 पहुंच गया। इससे पता चलता है कि भंडारण निगम ने इन कंपनियों को जुलाई 2020 से मार्च 2023 के बीच 26.22 करोड़ का अतिरिक्त बिजनेस दिया। उल्लेखनीय है कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कि गोदाम किराया, संधारण व स्टाफ वेतन का 32 प्रतिशत निगम ने दोनों कंपनियों को वसूलने दिया, जो कि करीब 49.74 करोड़ रु. की रकम थी।

जब निगम प्रशासन से लेखाकारों ने इस संदर्भ में पूछताछ की तो उन्होंने जवाब दिया कि, ए.एल.पी. में 85 प्रतिशत बिजनेस देने का फैसला बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की मीटिंग में लिया गया था और ऐसा वर्ष 2010 से हो रहा है। लेखाकारों ने इस जवाब को भी संतुष्टिपूर्ण नहीं माना है।

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि, इन दोनों कंपनियों ने गोदामों में रखी गई कृषि उपज की एवज में 2430 करोड़ रु. का अपर्याप्त बीमा कराया, जिससे किसानों को फसल खराबे की स्थिति में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जब इस मुद्दे पर लेखाकारों ने भंडारण निगम से सवाल किया तो जवाब मिला कि प्रशासन ने दोनों कंपनियों को ई-मेल लिखा है और जवाब आने पर ऑडिटर्स को बता दिया जायेगा। लेखाकारों की टिप्पणी है कि निगम प्रशासन का यह जवाब, इंश्योरेंस लागू करवाने का फैलियर साफ जाहिर करता है।

ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि, दोनों कंपनियों ने अनुबंध के मुताबिक अतिरिक्त भंडारण क्षमता को बनवाने और उपयोग की एवज में 9.41 करोड़ रु. की अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं करायी। लेखाकारों को इस मुद्दे पर विभाग ने जवाब दिया है कि, हमने दोनों कंपनियों को कई बार बैंक गारंटी जमा करवाने के लिए पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक भी यह लंबित है और प्रक्रिया जारी है। ऑडिटर्स ने इस जवाब को भी उपयुक्त नहीं पाया है। ऑडिट रिपोर्ट में टिप्पणी की गई कि एक वर्ष बीतने के बाद भी बैंक गारंटी वसूली नहीं होना भंडारण निगम का एक बड़ा फेलियर है। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि, गोदामों पर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की एवज में कंपनियों से 4.17 करोड़ रु. का वेतन राशि वसूलने में भी भंडारण निगम फेल साबित हुआ है। इसके अलावा भी अन्य कई मदों में करीब 6 करोड़ रु. की वसूली नहीं की गई है।

दोनों कंपनियों की बैंक गारंटी उपलब्ध नहीं कराने और कृषि उपज के स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं करवाने और टैंडर की अन्य शर्तों की पालना नहीं करने पर उठे विवाद पर राज्य भंडारण निगम ने इन कंपनियों का भुगतान रोक दिया था। इसके बाद 3 अगस्त 2023 को इन कंपनियों ने भंडारण निगम की सहमति से राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचकर आर्बिट्रेटर की नियुक्ति करवाई।

बताया जा रहा है कि आर्बिर्टेटर ने फैसला दिया है कि, भंडारण निगम इन कंपनियों को भुगतान कर दे, इसके बाद कंपनियां भी अपनी शेष बैंक गारंटी विभाग को जमा करवा दें। हैरानी की बात है कि ऑडिटर्स की कड़ी टिप्पणियों के बावजूद भी राज्य भंडारण निगम ने आर्बिट्रेशन" के माध्यम से इस मामले का निपटारा क्यों करना उचित समझा। इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि, सी.ए.जी. व अन्य वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट्स में कंपनियों व भंडारण निगम की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए जाने के बावजूद भी आर्बिट्रेटर द्वारा इस तरह का अवॉर्ड दिया गया, जिससे प्रतीत होता है कि कंपनियों को बहाल किया जा रहा है। वर्तमान में यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी लंबित है। इस प्रकरण में आर्बिट्रेटर द्वारा दिए गए अवॉर्ड को भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

काफी रोचक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कश्मीर भू-भाग में आती हैं। भाजपा किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करेगी, चुनावों में प्रचार व वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा।

संभावना है कि भाजपा, पूर्ववर्ती रियासत के डोगरा राजा महाराजा हरिसिंह की विरासत को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहेगी जिन्होंने भारत संघ में शामिल होने का फैसला किया था। भजपा पार्टी के प्रचार मुद्दों की रणनीति में पी.डी.पी. की महबूबा मुफ्ती को अनन्तनाग-राजौरी के चुनावों में हुए नुकसान को तथा अभी कुछ समय पूर्व समाप्त हुए लोकसभा चुनावों में हार के मुद्दे को भुनाना चाहती है।

भाजपा के करीबी सूत्रों का कहना है कि भाजपा चुनावों में जम्मू व कश्मीर बैंक घोटाला तथा प्रचार में रोशनी घोटाला कांड को भी उठाएगी।

अल्पसंख्यक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को 20 लाख रुपये की छात्रवृति देती है।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032, फैक्सः0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908